RJPP, Vol. 14, No. 2, 2016 ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व का अध्ययन

अश्वनी*
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा,
दूर शिक्षा निदेशालय
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। सातवीं अनुसूची का सूची 2 राज्य सूची में 5वाँ विषय पंचायती राज से संबंधित है जो कि इस प्रकार है: ''स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ''। संविधान की धारा 40 जिसमें ग्राम–शासन की बात निम्न प्रकार से स्पष्ट की गई है – ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।'' यह धारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। प्रारूप समिति ने भी ग्राम पंचायतों की आलोचना की थी लेकिन यह भी सिफारिश की थी कि सरकार को ग्राम पंचायत का विकास संसदात्मक एवं संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत करना चाहिये। के. संथानम ने इसी संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था *कि भारत, राज्य को ग्रामीण उद्धार एवं विकास करने के लिए पंचायतों का गठन करना चाहिए। इसके ही परिणामस्वरूप संविधान में अनुच्छेद पेज–ए जोड़ा गया जिसे बाद में अनुच्छेद 40 में रखा गया।*

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य – ''अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण'' करना था। सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यान्वयन और अध्ययन के लिए श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बताया। समिति ने महसूस किया कि गाँवों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सच्चे अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। ग्राम प्रधान भारत में आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता ग्रामीण जनता के हाथ में रहे। इस हेतु समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रि–स्तरीय पंचायत राज को स्थापित करने की अनुशंसा की। ये त्रि–स्तर हैं –

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा शीर्ष स्तर पर जिला परिषद्। साथ ही इस त्रि–स्तरीय पंचायती राज की सफलता के लिए तीन बिंदुओं को आवश्यक माना – सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकृत इकाईयों को विकास के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना एवं कर्त्तव्य की समझ तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

1977 में अशोक मेहता समिति ने अपने विधिवत् अध्ययन एवं आकलन में पाया कि इन संस्थाओं के चुनाव अकारण ही स्थगित किये जाने के पीछे राजनैतिक अभिजन का उपेक्षापूर्ण रवैया ही उत्तरदायी है। मुख्य रूप से इन संस्थाओं में सत्ता की प्रतिस्पर्धा के परिणाम उपजी राजनीतिक गुटबाजी, भ्रष्टाचार, कानून के प्रति सम्मान का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय निष्ठा, सत्ता का मोह और सेवा भावना का अभाव आदि कारकों को समिति ने इंगित किया है।

जी.बी.के. राव समिति (1985) ने ग्रामीण पिछड़ेपन तथा निर्धनता को दूर करने एवं ग्रामीण स्थानीय शासन के पुनर्गठन के तरीकें सुझाने हेतु तत्कालीन केन्द्र सरकार ने 1985 में जी.बी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। योजना आयोग के परामर्श से राव समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया। इसमें प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसिक योजना प्रस्तुत की गई। समिति का मत था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी पर नहीं थोपनी चाहिए। यह आवश्यक है कि स्थानीय लोगों व उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने व उनके क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी बनाया जाये। समिति द्वारा पहली बार विविध स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी। एक अन्य प्रमुख सिफारिश के रूप में समिति ने जिला बजट की अवधारणा प्रतिपादित की।

1988 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इसके उपरांत ही मई, 1989 में संशोधन (64वां संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया गया।

दिलीप सिंह भूरिया समिति ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संविधान के भाग–9 को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए दसवीं लोकसभा के सदस्य दिलीपसिंह भूरिया की अध्यक्षता में पाँच संसद सदस्यों एवं विशेषज्ञों की एक समिति जुलाई, 1994 में भारत सरकार को सौंपी। भूरिया समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार से थी कि यदि किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक गाँव हों तो प्रत्येक गाँव की एक ग्राम सभा या परिषद् होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में गाँवों की परम्परागत सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक रीति–रिवाज और परंपरागत परिषद बरकरार रहनी चाहिए। पुलिस, आबकारी, वानिकी, राजस्व सम्बन्धी विभागों के नीचे के स्तर के कर्मचारियों की भूमिका आदिवासी क्षेत्रों में कम होनी चाहिए और उन्हें सम्बन्धित पंचायत के अधीन कार्य करना चाहिए।

25 मई 1989 को 64 वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसे वे सभी प्रावधान थे जो व्यापक विचार–विमर्श के दौरान सामने आये थे। 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति का शिकार हो गया और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में वह पारित न हो सका और इस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रगति का रथ कुछ समय के लिए रूक गया।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

1991 में कांग्रेस के दुबारा सत्ता में आने पर मंत्री–स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 16 सितम्बर, 1991 को संविधान (73वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल, 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में इसे अंतिम रूप मिला। वर्तमान में जिस संवैधानिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है वे 73वें संवैधानिक संशोधन से निर्देशित हैं। इस संशोधन के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाओं का अंग हो गई है।

73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के हिसाब से पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जबकि कुल एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अत्यधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विधान मंडल चाहे तो उन्हें अन्य आवश्यक अधिकार यथा – आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय आदि से संबंधित कार्यक्रम तैयार करने की छूट दे सकता है। ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) में पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये कार्यों में दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण भी शामिल है।

73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप प्राप्त हो गया है। ग्राम सभा समस्त पंचायती राज व्यवस्था का दिल व दिमाग है। ग्राम सभा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रथम सोपान है। ग्राम सभा 73वें संशोधन की एक बड़ी देन है क्योंकि ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी गाँव के लोगों द्वारा पंचायत के लिए कुछ सदस्यों को ही शक्ति या अधिकार नहीं मिला है इससे पूरे ग्रामीण समुदाय या ग्राम सभा का सशक्तीकरण हुआ है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वतंत्र शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे अर्थात् –

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी दे जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना। पंचायतों की ये शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व तीनों स्तरों पर लागू होती है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में नई धारा–55 (क) (संशोधित 2000) जोड़कर निम्न विषयों के लिए एक–एक स्थायी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जिनमें कमजोर वर्गों का कल्याण व सामाजिक न्याय समिति भी है।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

कर्नाटक में ग्राम पंचायत स्तर पर तीन स्थायी समितियाँ हैं जिनमें एक समिति सामाजिक न्याय समिति है जो कि शिक्षा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, तथ्यों का विकास इत्यादि देखती है। इसी तरह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा–22 में कृषि उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय उपसमिति, सुख सुविधा समिति है।

अध्ययन का उद्देश्य

- पंचायती राज संस्थाओ के कार्यो व अधिकारो के संदर्भ में अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व का अध्ययन
- पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व की सहभागिता व सक्रियता का अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र

इस अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति भारतीय राज्यों के स्तर पर होने के कारण आदर्श चयन में उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न प्रमुख था। अध्ययन क्षेत्र का चयन चार स्तरों पर किया गया है। प्रथम स्तर पर राज्य के चयन के मुख्यतर्काधार में दो बातें रहीं पहली, वे राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी एवं सक्रिय हो एवं दूसरी हिंदी भाषी राज्य। उक्त आधार पर अध्ययन क्षेत्र के लिए पाँच हिंदी भाषी राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और बिहार का चयन किया गया है।

इस प्रकार हिंदी भाषी एवं प्रभावी सक्रिय पंचायती राज के चयन के उपरांत, इन राज्यों से जिलों का चयन एक मुख्य कार्य था। द्वितीय स्तर पर प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन किया गया। जिलों के चयन के पीछे निम्न कारण प्रमुख रहें –

– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीपस्थ – गाजियाबाद
– आदिवासी बहुल पंचायत क्षेत्र – दौसा
– विषम लिंगानुपात पंचायत क्षेत्र – झज्झर
– संवैधानिक उपबंधो की पृष्ठभूमि का क्षेत्र – ग्वालियर
– सक्रिय जनआंदोलन एवं भागीदारी वाला क्षेत्र – भोजपुर

साथ–साथ ही उक्त जिलों के चयन में सोउद्देश्य पूर्ण रीति भी प्रमुख रही है।

तृतीय स्तर पर कार्य संबंधित जिलों से ब्लॉक का चयन करना रहा। इस हेतु शोधार्थी ने जिला स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों एंव पंचायत राज अधिकारियों से गहन विचार विमर्श कर प्रत्येक जिले में दो ब्लॉक का चयन किया। ब्लॉक के चयन का आधार प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं में विकास खण्डों की भूमिका को बनाया गया है।

प्रस्तुत कार्य हेतु ग्रामों का चयन शोध कार्य के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया जिससे पंचायती राज की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका को समझा जा सके। साथ–साथ यह भी जानना महत्वपूर्ण था कि वे कौन से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारण है जो इस दिशा में भूमिका निभा पाते हैं अथवा नहीं निभा पातें। इस आधार पर शोधार्थी ने प्रत्येक ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों का चयन किया। इसमें एक गाँव के विकास में बेहतर निष्पादन कर रही है तो दूसरी औसत से कम निष्पादन कर रही है। उक्त उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में पंचायती राज एवं शैक्षिक विकेंद्रीकरण को बेहतर रुप से समझा जा सकता है। इन आधारों के लिए शोधार्थी द्वारा बनाए गए मापकों का रुप निम्नलिखित प्रकार से है –

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

बेहतर भागीदारी वाली ग्राम पंचायत के लिए – पुरस्कृत ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें) से युक्त ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत, आदिवासी बहुल क्षेत्र मुख्य मापक रहे हैं।

औसत भागीदारी वाली ग्राम पंचायत के लिए – ग्राम पंचायत क्षेत्र में औसत से कम बुनियादी सुविधाएँ, ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति उदासीन, विद्यालयों में न्यून नामांकन स्थिति, सरकारी विद्यालयों में स्कूल छोड़ने की दर की प्रधानता मुख्य मापक रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र का विवरण

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

राज्य → जिला → 2 ब्लॉक → प्रत्येक ब्लॉक से 2 ग्राम पंचायत

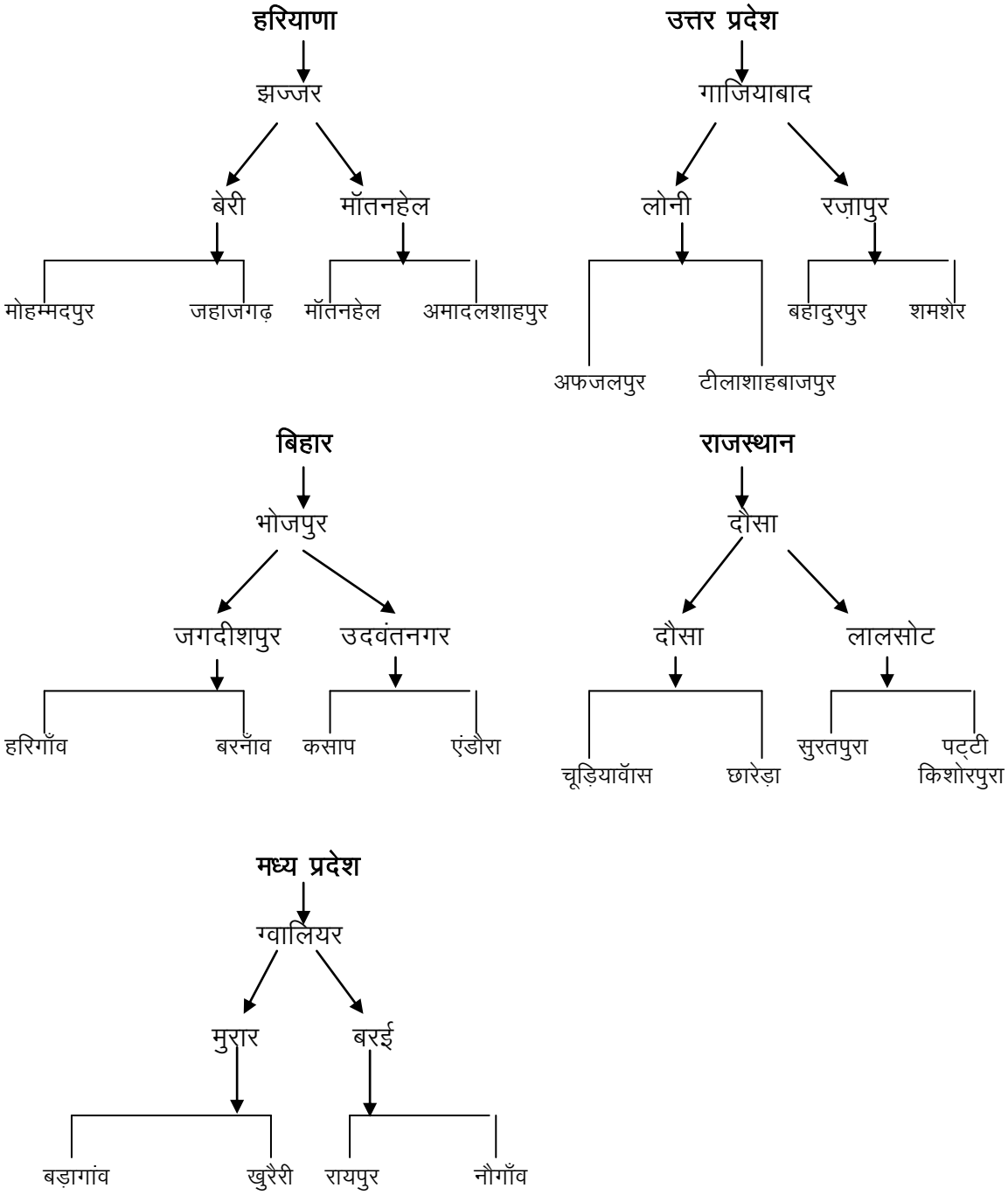

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध हेतु चयनित न्यादर्श में ग्राम पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, चयनित ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्य, चयनित ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापक और संबंधित शिक्षा अधिकारियों से आँकड़ें एकत्रित किये हैं। प्रस्तुत अध्ययन का स्वरुप निम्न है–

न्यादर्श के रूप में शामिल पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की संख्या का राज्यवार विवरण

राज्य	जिला	ब्लॉक	गाँव	ग्राम पंचायत		पंचायत समिति		जिला परिषद्		गाँव के सदस्य	
				पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	लोनी	अफज़लपुर	1	1	—			—	3	1
			टीलाशाहबाज पुर	2	0	—	1	1		1	2
		रज़ापुर	बहादुरपुर	1	1		—	—	1	3	2
			शमशेर	1	2	1	—		—	4	2
			कुल संख्या	5	4	1	1	1	1	11	7
			पु.+म. संख्या	9		2		2		18	
राजस्थान	दौसा	दौसा	चूड़ियावॉस	2	1	—	1	—		3	1
			छारेड़ा	2	1		—		—	2	3
		लालसोट	सुरतपुरा	1	2	1	1	—	1	4	2
			पटट्ी किशोरपुरा	3	1		—	1		2	3
			कुल संख्या	8	5	1	2	1	1	11	9
			पु.+म. संख्या	13		3		2		20	
		मुरार	बड़ा गाँव	2	1	—	1	—		2	1

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

			खुरैरी	1	1		—	1	—	2	2
		बरई	नौगाँव	1	1	—				2	3
			रायपुर	2	1	1			1	3	1
			कुल संख्या	6	4	1	1	1	1	9	7
			पु.+म. संख्या	10		2		2		16	
राज्य	**जिला**	**ब्लॉक**	**गाँव**	**ग्राम पंचायत**		**पंचायत समिति**		**जिला परिषद**		**गाँव के सदस्य**	
				पु.	**म.**	**पु.**	**म.**	**पु.**	**म.**	**पु.**	**म.**
हरियाणा	झज्झर	बेरी	मोहम्मदपुर माजरा	2	1		—		—	2	2
			जहाजगढ़	1	1	1	—	1	—	3	2
		मॉतनहेल	मॉतनहेल	2	1		1		—	4	1
			अमादलशाह पुर	1	1	1	—	—	1	2	2
			कुल संख्या	6	4	2	1	1	1	11	7
			पु.+म.संख्या	10		3		2		18	
बिहार	भोजपुर	जगदीश पुर	हरिगाँव	2	1	—				2	1
			बरनाँव	1		—	1	—	—	2	3
		उदवंत नगर	कसाप	3	1		—	—	1	2	1
			एंडौरा	1	1	1			1	4	1
			कुल संख्या	7	3	1	1	0	2	10	6
			पु.+म. संख्या	10		2		2		16	

राज्यों से प्राप्त आँकड़ों के प्रत्युत्तरदाताओं में महिलाओं की संख्या

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

राज्य	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्	गाँव के सदस्य
उत्तरप्रदेश	9	2	2	18
राजस्थान	13	3	2	20
मध्यप्रदेश	10	2	2	16
हरियाणा	10	3	2	18
बिहार	10	2	2	16
कुल संख्या	37	11	12	87

आँकड़ों हेतु प्रयुक्त उपकरण

साक्षात्कार (स्वनिर्मित) – शोध के विषय की आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुरूप शोधकर्ता ने ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, गाँव के सदस्य, अध्यापकों ओर शिक्षा अधिकारियों के लिए साक्षात्कार अनुसूचियों का निर्माण किया है। सभी साक्षात्कारों को रिकॉर्ड किया गया जिसे बाद में कम्प्यूटर के माध्यम से सुनकर इन साक्षात्कारों का विश्लेषण किया गया।

अवलोकन – चयनित क्षेत्र की ग्राम पंचायत के सदस्यों के संबंध का अवलोकन, ग्राम पंचायत की समितियों के कार्यों में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका का अवलोकन, ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की सहभागिता का अवलोकन, ग्राम संबंधी समस्याओं के समाधान में ग्राम पंचायत की तत्परता व सहयोग में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की सहभागिता का अवलोकन, गाँव में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराए गए प्रमुख विकास कार्य, गाँव में शिक्षा का स्तर व वर्तमान में पढ़ाई–लिखाई का माहौल, गाँव में बिजली पानी की सुविधा, गाँव की वर्तमान में प्रमुख समस्याएँ, ग्राम पंचायत व समुदाय के व्यक्तियों के आपसी संबंध, अनुसूचित जाति/जनजाति, सदस्यों की शैक्षिक स्थिति का अवलोकन, शैक्षिक जागरूकता, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों की सहभागिता का ग्रामीण जीवन में भूमिका का अवलोकन करना। इस तरह शोध से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अवलोकन किया गया।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

महात्मा गाँधी जी ने इस बात पर बल दिया है कि यदि भारत को अपना विकास अहिंसा की दिशा में करना है तो उसे बहुत सी चीज़ों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा।

डा. रामानन्द गैरोला, डा. कुसुम गैरोला (1994) लेखकद्वय ने अपने लेख में 'गांधी दर्शन' की सुस्पष्ट चर्चा करते हुए कहा है कि गाँधी जी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टि से सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया है। उनके मत में स्वतंत्रता की शुरूआत नीचे से होनी चाहिए। पंचायतों को जितना अधिक अधिकार होगा, लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। **डा. शमता सेठ (2000)** ने 73वें संशोधन के संदर्भ में अपनी पुस्तक में चर्चा की है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रोन्नत करना अहम कार्य होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएँ अब पुरूष प्रधान नहीं रही है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग ने पंच से लेकर जिला प्रमुख के पद तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय का अभाव है।

अमर्त्य सेन, ज्यां द्रीज़ (2000) की पुस्तक ''भारत विकास की दिशाएँ'' में इस पूरे संदर्भ को भारत में आर्थिक विकास के कार्यों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने का प्रयास किया है और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का सहारा लिया गया है। शोध के संदर्भ में पुस्तक में विशेष तौर पर स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया गया है। स्थानीय लोकतंत्र में भागीदारी का जीवन की गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ता जहाँ भारी विषमताएँ हैं वहीं स्थानीय लोकतंत्र भी पंगु होकर रह गया है। पंचायतों में महिलाओं की कम हिस्सेदारी भी इसी समस्या का प्रभाव है। स्थानीय स्वशासन भी उच्चवर्गीय सम्पन्न परिवारों के हाथों में सिमट गया है। पुस्तक में विचारणीय है कि इन समस्याओं के निवारण की दिशा में संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों के माध्यम से पहल की गई है। पुस्तक भारत में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करके विकेन्द्रीकरण की और उन्मुख होने का स्पष्ट रास्ता दिखाती है जो कि शिक्षा के संदर्भ में समानता की बात करती है।

सुधीर पाल एवं रणेन्द्र (2002) की पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। पुस्तक का संदेश है कि मानवता के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो जब दो संवैधानिक कानूनों (73वां व 74वां संविधान संशोधन) ने लाखों महिलाओं व दलितों को हाशिये से उठाकर हुकूमत की कुर्सी तक पहुँचा दिया हो। अब हाशिये पर रहने वाली महिलायें व दलित भी नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन लिंग भेद, गरीबी, अशिक्षा व जानकारी का अभाव इनकी कठिनाइयाँ बढ़ा रहा है। प्रधानपतियों, संरपचपतियों द्वारा पंचायती राज सस्थाओं में नेतृत्व उत्तर भारत की खासियत है। दलित संरपंचों से आशा की जाती है कि वे हाथ जोड़ कर बैठे रहे। ये सभी भविष्य की शोचनीय दशा है। इस तरह निष्कर्षतः महिलाओं की दृष्टि बुनियादी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। यही वजह है कि उन्होंने शिक्षा, नशे की लत, प्रौढ़ साक्षरता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सशक्त भी हुई लेकिन अभी निर्णायक नहीं बन पाई है।

जार्ज मैथ्यू (2003) ने अपनी पुस्तक में 1993 के बाद विस्तृत होते लोकतांत्रिक आधार पर विस्तृत चर्चा की है और विभिन्न अनुभवों का साक्षात् प्रस्तुतीकरण भी पंचायती राज का आईना दिखाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यों ने 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के शब्दों का पालन किया है उनकी भावना का नहीं। ग्राम सभा अब तक एक विधिक इकाई है, इसे वह हैसियत और भूमिका नहीं मिल पायी है जो इसका प्राप्य है। इसे सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। पुस्तक के निष्कर्ष में कहा है कि नयी पंचायत व्यवस्था ने, अपनी सभी मौजूदा कमजोरियों के बावजूद, गाँवों में व्यापक सामाजिक सरोकार पैदा करने में मदद की

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

डा. पूरण मल (2004) की पुस्तक ''पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व'' शोध अध्ययन पर आधारित है जो कि इन्द्रियानुभाविक एवं क्षेत्रीय अध्ययन है जिसका मूल उद्देश्य अलवर जिले की ग्राम पंचायतों के अनुसूचित जाति सरपंचों के नेतृत्व के विविध आयामों का परीक्षण करना है। इस शोध अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह है कि यद्यपि दलित सरपंचों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि दुर्बल है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, भूमिहीन है तथा उन्हें यह नेतृत्व मात्र इन संस्थाओं में किये गये आरक्षण से ही प्राप्त हो पाया है। यह नेतृत्व अनुसूचित जाति की अपनी वास्तविक स्थिति का ही दर्पण है। आयु की दृष्टि से न तो परम्परागत वृद्ध पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है न ही आयु के जोशीले वर्ग का। अनुसूचित जाति के लगभग आधे से ज्यादा सरपंच निरक्षर या मात्र साक्षर है। इस नेतृत्व को स्थानीय स्वशासन में समानता के आधार पर कार्य करने का पहला अवसर मिला है। पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायत की शक्तियों, इनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उच्च स्तर की है। इस नेतृत्व के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। साक्षरता इसकी प्राथमिकता रही है।

अध्ययन से प्राप्त परिणाम

वर्तमान पंचायती राज की स्थापना में 73वाँ संविधान संशोधन अपना एक विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजातियों की भागीदारी को सुनिशिचित किया इस तरह 73वें संविधान संशोधन द्वारा विकेंद्रीकरण की अवधारणा में अनुसूचित जाति व जनजातियों की भागीदारी को संवैधानिक मान्यता मिल गई है। अतएवं पंचायतों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों में अनुसूचित जाति व जनजातियां भी एक महत्वपूर्ण अंग विकेन्द्रीकृत आयोजना का बन गई है।

- **पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व जागरूक व सक्रिय नहीं है –** अनुसूचित जाति के पंचायती राज सदस्य अपने से संबंधित पंचायतों में जागरूक व सक्रिय नहीं है। अभी भी इस वर्ग के सदस्यों को विश्वास नहीं होता है कि वे सामाजिक प्रतिनिधि है क्योंकि अलगाव के भाव अभी भी मन में समाहित है। विशेषकर अध्ययन में पाया गया है कि अनुसूचित जाति के सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य ओर जिला परिषद के सदस्य को सवर्ण जाति के वर्चस्वशाली लोगों द्वारा उनके अनुसार चलने वाले दलित नेताओं को समर्थन देकर जितवाया जाता है जो कि बाद में कठपुतली नेता कहलाते हैं जिस कारण वे सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते हैं। कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों ने सक्रिय होकर काम करने की कोशिश भी कि लेकिन उच्च जाति के पंचायती राज सदस्यों का समर्थन व सहायता इन सदस्यों को नहीं मिल पाता है।
- **सामाजिक जारूकता का अभाव–** अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के सशक्त नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि समाज अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए जागरूक हो लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के नेतृत्व को समाज द्वारा अभी भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मीडिया के संसाधानों के द्वारा भी जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को अभी भी नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ाकर वास्तविक रूप से उनके पदों का प्रयोग व कार्यान्वयन उच्च जाति के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों अपने पदों व शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। समाज में जागरूकता के अभाव में अभी भी जातिगत कारकों के कारण अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों की प्रभावशीलता नहीं दिख पा रही है।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

- **अनुसूचित जाति व जनजाति के शिक्षित सदस्यों का अभाव –** अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व में शिक्षित सदस्यों का अभाव है। शिक्षित सदस्यों का पंचायती राज संस्थाओं में काम करने का मन व हौंसला कहीं भी नहीं दिखता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के शिक्षित लोग पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करना पंसद करते है पंचायती राज संस्थाओं में काम करना समय की बर्बादी समझते है। यह भी विशेषकर ध्यान योग्य है कि यदि शिक्षित अनुसूचित जाति व जनजाति पढ़े लिखे समझदार, संपन्न, नेतृत्वशील नेताओं को सवर्ण जाति के लोग समर्थन ही नहीं करते हैं। कमजोर, दब्बू, कठपुतली, अनपढ़, आर्थिक तौर पर कमजोर दलित वर्ग के नेताओं को सवर्ण जाति द्वारा जितवाया जाता है। इस तरह यह एक ऐसा मानसिक, वैचारिक मायाजाल है जिससे दलित अभी उबर नहीं पा रहे हैं। इसका असर दलितों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। दलित नेता अपने वर्ग के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता व चेतना उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन कुछ गाँवों में दलित नेतृत्व अच्छा कार्य भी कर रहे है लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है ओर जो दलित जागरूक और आत्मविश्वासी है वे स्वयं कार्य करने की कोशिश करते है। दलित नेतृत्व की असफलता के कारण ये अपने लोगों की शिक्षा की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दलितों की शिक्षा के संदर्भ में दलित नेतृत्व बहुत कुछ कर सकता है लेकिन लगता है कि अभी ये प्रारंभिक दौर में है।
- **पंचायती राज के अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व आर्थिक रूप से समपंन नहीं है–** आज भी पंचायती राज के अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व गरीबी व आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है क्योंकि इस वर्ग के लोग अभी भी गाँवों में दिहाड़ी मजदूरी करके घर का गुजारा करते है इस कारण पंचायतों में आने के बाद भी इनकों दिमागी व मन की परेशानी से छुटकारा नहीं मिल पाता है जिस कारण वे पंचायतों का समय नहीं दे पाते हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति के सदस्यों के पास कृषि योग्य भूमि नही है जिस कारण इस वर्ग के लोग मजदूरी पर ही निर्भर रहते है। अध्ययन मे यह बात विशेषकर उभर कर आई है कि अनुसूचित जनजाति के पंचायती राज सदस्यों की राजस्थान में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास कृषि के लिए जमीन है जिससे ये आर्थिक रूप से मजदूरी पर निर्भर नहीं है।
- **सवर्ण जाति के पंचायती राज सदस्यों का अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व को सहयोग नहीं**– सवर्ण जाति के पंचायती राज सदस्यों का सहयोग दलित नेतृत्व को नहीं मिल पाता है। यदि सरपंच, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष और जिला परिषद अध्यक्ष अनुसूचित जाति व जनजाति का सदस्य है तो फिर किसी भी तरह का सहयोग इनको नही मिल पाता है और सामाजिक रूप से भी इनको पंचायती राज सदस्य बनने के बाद मान सम्मान नहीं दिया जाता और इनको अहसास कराया जाता है कि आप छोटी जाति से संबंधित है। सवर्ण जाति के लोग अपनी समस्याओं पर दलित सरपंच से बहुत कम बातचीत करते है। उच्च जाति के लोग किसी भी तरह के प्रशासनिक व अन्य कार्यो के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति सरपंच के घर बहुत कम जाते है। उच्च जाति के पंच और पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों का भी सहयोगात्मक रवैया दलित सरपंच के साथ नहीं रहता है।
- **प्रशासन व नौकरशाही का अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व को सहयोग नहीं**– अध्ययन में यह भी तथ्य उभरा है कि दलित नेतृत्व को प्रशासन व नौकरशाही का सहयोग नहीं मिलता है जिसका

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

मूल कारण जाति गत भेदभाव हैं। उच्च जाति से संबंध रखने वाले प्रशासनिक अधिकारी अनुसूचित जाति व जनजाति के पंचायत सदस्यों को ग्रांट समय पर और पूरी नहीं दी जाती है। अध्ययन में यह भी पता चला कि अनुसूचित जाति व जनजाति के पंचायत सदस्यों के नेतृत्व को नौकरशाही लालफीताशाही के तरीके से कमजोर करने की कोशिश करती है जिससे दलित नेतृत्व प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर पाता है। पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य यदि उच्च जाति से संबंधित है तो उनका भी ग्राम पंचायत के दलित नेतृत्व को सहयोग नहीं रहता है। अनुसूचित जाति व जनजाति पंचायती राज सदस्यों को कानूनी दाँव पेंच और प्रशासनिक नियमों में उलझा दिया जाता है जिससे वे कार्य नहीं कर पाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के द्वारा गाँव संबंधी समस्याओं को कभी–कभी उठाया जाता है लेकिन उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान का भरोसा नहीं दिया जाता या जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। ग्रामीणों प्रशासन भी अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों से बातचीत नहीं करता है जिससे वे एक–दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते है। इस तरह अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों का प्रशासन से बातचीत व संवाद बहुत ही कम होता है।

- **पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को जानबूझकर जानकारी नहीं दी जाती है–** अध्ययन में यह विशेषरूप से पाया गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ओर जिला परिषद को जानबूझकर नहीं बुलाया जाता है। पंचायतों की बैठकों और कार्यवाहियों की जानकारी नहीं दी जाती है। ज्यादातर कार्यवाहियों पर घर जाकर दलित पंचायती राज सदस्यों के हस्ताक्षर लिये जाते है। ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद स्तर की पंचायतों की कार्यवाहियों में भी ऐसा ही होता है लेकिन ग्राम पंचायत स्तर से कम है। प्रशासन के द्वारा भी पंचायती राज सदस्यों को कार्यक्रमों की जानकारी व ग्रांट से अनभिज्ञ रखा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को पंचायती राज के अधिकार, कार्य व कानून की जानकारी बहुत कम हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को पंचायती राज संस्थाओं के उत्तरदायित्वों के बारे में कोई लिखित सरकारी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस कारण पंचायती राज की कार्यप्रणाली व समस्याओं को सही तरीके से समझकर अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्य कार्य नहीं कर पाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि इस तरह का माहौल भी बनाया जाता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
- **पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति महिला नेतृत्व सक्रिय व जागरूक नहीं है–** अधिकांश पंचायती राज संस्थाओं में उच्च जाति की महिला सदस्यों की तरह ही अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं की जगह उनका नेतृत्व ससुर, पति, ज्येष्ठ, देवर, बेटों या पोतों के द्वारा किया जा रहा है। पंचायतों की मीटिंग में और अन्य सभी प्रशासनिक कार्रवाई में भी अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं की जगह पुरुषों के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। कुछ गाँवों में अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं नें स्वंय नेतृत्व करने की क्षमता और जागरूकता की वजह से ही अच्छा काम किया है। लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति महिला सदस्यों को ग्रामीण समाज और प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिस कारण उनकी सदस्यता को मोहरा बना कर पुरुष अपनी वर्चस्वता से पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इस तरह ग्रामीण जनता का आधा भाग निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन अध्ययन में यह बात विशेषतौर से उभरी है कि अनुसूचित जाति व जनजाति की महिला सदस्यों का नेतृत्व सामान्य जाति की महिलाओं की तुलना में ज्यादा

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

निष्क्रिय है क्योंकि इनको भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है इस तरह से इन महिलाओं पर दो तरह की पाबंदियां है पुरूषों ओर जातिगत सामाजिक भेदभाव।

- **पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की नीति निर्माण में कोई भूमिका नहीं है–** राज्य और केन्द्र स्तर पर पंचायती राज संबंधित नीतियों के निर्माण में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की सहायता व सलाह नहीं ली जाती है। पंचायती राज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की सक्रिय सहायता नहीं ली जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे आज्ञापालक बने रहें। इस तरह निर्णयों के स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भागीदारी उत्साहजनक स्तर की नहीं हैं। ग्राम पंचायतों की बैठकों में विकास संबंधी विषयों चर्चा में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भागीदारी न के बराबर होती है। ज्यादातर सदस्यों को चर्चाओं का पता ही नहीं है और जो चर्चाएँ होती हैं उनमें मुख्य रूप उच्च जाति के सदस्यों के द्वारा ही भाग लिया जाता है। विशेषतौर पर पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर तो अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भागीदारी और भी कम हो जाती है जो विकेंद्रीकरण के लिए चिंताजनक बात है।
- **ग्राम सभा में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सदस्यों की भागीदारी बहुत ही कम होती है–** ग्राम सभा पंचायती राज की नींव है। अध्ययन में यह बात उभरी है कि ग्राम सभा केवल औपचारिकता के तौर पर कार्य कर रही है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कार्यों, गाँव की समस्याएँ व समाधान, ग्रामीण विकास, शैक्षिक मुद्दों पर जो भी चर्चा होती है उसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की भागीदारी न के बराबर होती है लेकिन राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भागीदारी सराहनीय रही है । ज्यादातर ग्राम सभा की बैठक में अध्ययन में पाया गया कि राजस्थान को छोड़कर लगभग उच्च जाति के ही ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भागीदारी न के बराबर है। इस तरह ग्राम सभा एक बातचीत के मंच के रूप में नहीं उभर पा रही है। विकेंद्रीकरण में अनुसूचित जाति के सदस्यों को उचित स्थान नहीं मिला है जिससे अनुसूचित जाति के सदस्यों की वास्तविक भूमिकाओं का विलोपन हो गया हैं।

चयनित राज्यों में अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों की सहभागिता के विभिन्न घटक के द्वारा चाहे वे सीधे तौर पर उद्देश्य थे या नहीं, परंतु फिर भी पहले से अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहभागिता की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है परंतु परिणाम बहुत आशाजनक नहीं रहे हैं। प्रशासकों ने अभिप्रेरित होकर अच्छा कार्य नहीं किया है। प्रशासनिक कुशलता का विकेन्द्रीकरण का प्रभाव पड़ता है लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना ज़रूरी है। वास्तविक तौर पर विकेंद्रीकरण की दृष्टि से पंचायती राज की तीनों संस्थाओं में शक्ति और कार्य अभी उच्च जाति के पंचायती राज सदस्यों के पास है।

अध्ययन से प्राप्त सुझाव एवं निष्कर्ष

– अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों का प्रशिक्षण के द्वारा विश्वास बढाया जाना चाहिए क्योंकि सदियों से इस वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है और नीची जाति की भावना से मुक्त विचार इनमें पैदा करने होगें जिससे ये समाज में अपने आपको विकास के भागीदारी बना सकें। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के सशक्त नेतृत्व के लिए जरूरी है कि विभिन्न

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

ग्रामीण विकास संस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की समस्याओं को ध्यान में रखकर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडयूल बनाये। अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय व सफल अनुसूचित जाति व जनजाति पंच व संरपंचों के द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की सुविधानुसार होना चाहिए जिसे वे आसानी से कर सकें। प्रशिक्षण में मॉडल पंचायतों का मैदानी दौरा भी करवाना चाहिए जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव हो सकें, इस तरह प्रशिक्षण को अनुभवात्मक स्वरूप देना जरूरी है। अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के प्रशिक्षण समय समय पर होना चाहिए जैसे पंच सरपंच बनते ही ओर साल में कम से कम एक प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए जिससे निरंतरता बनी रहें। हर स्तर के प्रशिक्षण का स्वरूप और विषयवस्तु अलग होनी चाहिए ओर उसमें एक जुड़ाव भी रहना चाहिए। प्रशिक्षण का स्वरूप वीडियो, ऑडियो, लिखित व मौखिक स्वरूप का भी होना चाहिए।

- अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के सशक्त नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि समाज को जागरूक बनाया जा सकें क्योंकि जातिगत स्तर के कारण अभी ग्रामीण समाज इनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाया हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के नेतृत्व को स्वीकारना जरूरी है इसके लिए सरकार ग्रामीण समाज में विभिन्न मीडिया के संसाधानों के द्वारा जागरूकता फैलायें। जिस तरह उच्च जाति के संभ्रात लोग अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ाकर वास्तविक रूप से उनके पदों का प्रयोग व कार्यान्वयन उच्च जाति के द्वारा किया जा रहा है इसलिए सरकार को अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भी जागरूक बना कर तैयार करना होगा कि वे अपने पदों व शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करें। प्रशासन और नौकरशाही को भी जागरूक करना होगा कि वे अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को ग्रामीण विकास में कार्य करनें दें व उनकों प्रोत्साहित करें। प्रशासनिक व पंचायती राज अधिकारियों को निणर्य में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे इन लोगों को विश्वासपरक माहौल में काम करने को मौका मिलें।
- पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों पर शोध व सर्वेक्षण को बढ़ावा देना चाहिए पंचायती राज में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका पर समय समय पर शोध व सर्वेक्षण होना चाहिए। शोध व सर्वेक्षण क्षेत्र, राज्य व गाँव के स्तर पर होना चाहिए ताकि ज़मीनी वास्तविकताओं से रूबरू होकर हर गाँव के स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकें। शोध में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों से ऑकड़े प्राप्त करना कठिन कार्य नहीं है वास्तविक ऑकड़ों की प्राप्ति के लिए सरकारी तौर पर प्रयास भी किए जा सकते है। समस्या आधारित शोध कार्य भी किया जा सकता है जिससे समस्याओं के समाधान प्राप्त हो सकें। अनुभव, भागीदारी व जातिवृतात्मक शोध पद्वतियाँ इस क्षेत्र में कारगर साबित होगीं। एन.जी.ओ, ग्रामीण शोध संस्थान और विश्वविद्यालयों को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका पर शोध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- यदि अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को ग्रामीण विकास की धारा में भागीदार बनना है तो उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। सरकार को अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है जिससे आने वाली ग्रामीण अनुसूचित जाति व

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

जनजाति की नेतृत्व की पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति लोगों में आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता शिक्षा के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। ग्रामीण योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता और जानकारी न होना ग्रामीण विकास में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के योगदान में रूकावट पैदा करता है। प्रशासन के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों कों आधी अधूरी जानकारी दी जाती है और उन्हें प्रशासनिक नियम कानूनों में उलझा दिया जाता है। इसलिए स्वयं नेतृत्व और खुद की सोच के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों का शिक्षित होना आवश्यक हो जाता है।

- विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका को शामिल करना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका को जान कर भविष्य में समाज के अंदर उसे अपना सकते है। बालक–बालिका दोनों ही अपने आस पड़ोस और ग्रामीण समाज में अनुसूचित जाति व जनजाति नेतृत्व के महत्व व समझ को बता सकतें है जिससे घर परिवार और ग्रामीण समुदाय में एक सकारात्मक माहौल बनेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन के बाद अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थीं पंचायती राज संस्थानों में नेतृत्व के लिए तैयार हो सकते है और उच्च जाति के विद्यार्थीं भी अध्ययन के बाद अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को ग्रामीण विकास में योगदान को समझ कर प्रोत्साहित कर सकते है। इस तरह राजनीति विज्ञान, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, महिला अध्ययन व विकास अध्ययन इत्यादि अनुशासनों के पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका को शामिल करके दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते है।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है यदि ये लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है तो कैसे अपनी भूमिका पंचायतों में प्रभावी रूप में निभा पाएगें। कृषि व खेती बाड़ी की ज़मीन विशेषकर अनुसूचित जाति के लोगों के पास नहीं है लेकिन राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में कृषि योग्य भूमि है। इस तरह का मनोवैज्ञानिक वातावरण रहता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग अपने दो समय की रोटी पानी के लिए सोचते रहते है इस तरह के असमंजस में कोई नेतृत्व सशक्त कैसे हो सकता है। दिहाड़ी मजदूर पंचायती राज संस्थाओं में आकर क्या काम कर सकता है जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है शोध और इन लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए इसलिए आर्थिक रूप से इन जातियों के आधार को मजबूत करना पड़ेगा। इस तरह हमें इस तरह का सकारात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा कि समाज, सरकार व प्रशासन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के द्वारा आर्थिक आधार पर सशक्त बनायें।
- पंचायती राज संस्थाओं में केंद्र व राज्य स्तर की योजनाएं व कार्यक्रम के कार्यान्वन में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और इनका अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कुछ योजनाएं इस तरह की होनी चाहिए अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को सौंप देनी चाहिए जिससे समाज में एक तरह का संदेश भी जायेगा और अपने आप पर विश्वास भी होगा। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए जाऐं कि वे अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की हर तरह के ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी को बढ़ावा दें ओर प्रोत्साहित करें। अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्याओं की जानकारी व समझ अनुसूचित

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

जाति व जनजाति सदस्यों को होती है एवं उनके समाधान के उचित उपाय भी वे ही अच्छी तरह कर सकते हैं। इसलिए हमें सहभागिता की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए।

- ग्रामीण प्रशासन में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों के प्रति विश्वासपरक माहौल बनाना चाहिए और हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहना चाहिए। पंचायती राज अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों द्वारा उठाई गई हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को तैयार रहना है क्योंकि इससे अनुसूचित जाति व जनजाति प्रतिनिधियों का हौंसला बढ़ेगा ओर वे आगे काम करने के लिए अभिप्रेरित होगें।
- ग्राम सभा लोकतांत्रिक व प्रत्यक्ष विकेंद्रीकरण का प्रथम सोपान है। ग्राम सभा में अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। इसकी नियमित बैठक होनी चाहिए और इसमें ग्रामीण विकास समेत सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों की रुचि बढ़ेगी तथा ग्राम सभा सामाजिक रूप से मजबूत बनेगी। ग्रामीण अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों को ग्राम सभा के महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए जिससे वे ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रख सकती हैं।
- पंचायतों को ग्रामीण विकास के सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर भी ध्यान देना होगा जिससे विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बन सकता है। विशेषतः अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में पंचायतों को चारों तरफ सक्रिय रूप से कार्य करना होगा । सरकार को गाँवों के सामाजिक शैक्षिक विकास के साथ–साथ आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है जिससे वे स्थानीय संस्थाओं में शामिल हो सकें और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के विकास का महत्व भी समझ सकें।
- विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यक है कि एक अच्छी अनुवीक्षण व्यवस्था का विकास किया जाए। समुदाय आधारित अनुवीक्षण व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण व आंकलन और निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा भी सरकार को विकास कार्यक्रमों व योजनाओं का मूल्यांकन व अनुवीक्षण करवाते रहना चाहिए। चयनित स्थानीय सरकार, नागरिक दोनों के उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक है कि लेखा, लेखापरीक्षण की अच्छी व्यवस्था विकसित की जाये जिससे संसाधनों के प्रयोग करने की सूचना पर विश्वास हो। इस तरह की व्यवस्था से अनुसूचित जाति व जनजाति की उचित व संवैधानिक भूमिका ग्रामीण विकास में संभव हो सकती है।
- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। महिला नेतृत्व की जगह पुरूषों का अनावश्यक हस्तक्षेप पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण विकास में कोई भी रूकावट नहीं आये। पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय अभिजन ने भी नियंत्रण कर लिया है जो कि विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को ही समाप्त कर देता है।
- अनुसूचित जाति व जनजाति विकास की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी पर नहीं थोपनी चाहिए समुदाय भी अपनी सामाजिक समस्याओं को समझे और जिम्मेदारी भी महसूस करें। पंचायतों को सरकारी संस्था नहीं समझना चाहिए। गाँवों के विकास को सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में लिया जाए जिसमें पुरूषों व महिलाओं का समान उत्तरदायित्व हो इसे केवल सरकारी ज़िम्मेदारी ही नहीं समझें। विकेन्द्रीकरण के प्रयासों की सफलता के लिए आवश्यक है कि यह एक सहभागी सोच हो।

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

यह सहभागी सोच उच्च स्तर पर नेताओं में भी होनी चाहिए। स्थानीय सरकारों के साथ इनकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अतः पंचायतों को सक्रिय बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता जरूरी है जिससे गाँवों का विकास सुनिश्चित होगा। इस संदर्भ में विकेन्द्रीकरण के मार्ग के अवरोधों का मूल्यांकन करना चाहिए। आज के समय में पंचायती राज को अनुसूचित जाति व जनजाति का सहयोग न मिल पाना भी पंचायती राज के लिए हानिकारक रहेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में 73वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधित्व से सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को बल मिला है। 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किए गए है। 73वें संशोधन का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि निर्णय प्रक्रिया में अब अनुसूचित जाति व जनजाति की भागीदारी बढ़ी है। अनेक कमियों और दुर्बलताओं के बावजूद पंचायती राज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। इस तरह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन से अनुसूचित जाति व जनजाति की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी बढ़ी है। लेकिन सक्रिय भागीदारी के लिए अभी हमें, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के अधिकार की अवधारणा, जन जागरूकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तिरण, जनसंख्या नियन्त्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्रशासन में जनसहभागिता जैसे कारकों को बल मिला है।

संदर्भ

- *केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकि शब्दावली आयोग (1978),* ***"शिक्षा परिभाषा कोश खंड–2"****, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, दिल्ली।*
- *Jha, Ugra Mohan (1995).* ***Rural Development in Indi:, Problem and prospects.*** *New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.*
- *NIRD (1995).* ***Panchayati Raj Institutions in Select States an Analytical Study.*** *Hyderabad: NIRD.*
- *कश्यप, सुभाष (1996),* ***"हमारा संविधान"****, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली।*
- *ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997),* ***"भारत का संविधान"****, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ।*
- *बसु, दुर्गादास (1997),* ***"भारत का संविधान एक परिचय"****, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली।*

ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411
ICRJIFR
IMPACT FACTOR
4.0000

- *दुबे, दिवाकर (1997),* ***"73 वें संविधान संशोधन से सत्ता का विकेन्द्रीकरण"*** *कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *श्रीनिवास, एम. एन. (1998),* ***"आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन"****, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली।*
- *जोशी, आर.पी. एवं मंगलानी, रूपा (1998),* ***"पंचायती राज के नवीन आयाम"****, यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।*
- *वर्मा, रामनरेश (1998),* ***"ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के सरपंचो को आने वाली बाधाएँ"****, कुरुक्षेत्र, अगस्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *सिंह, भवंर (1998),* ***"मध्यप्रदेश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण गाँवों के गलियारों तक"****, कुरूक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *पवाँर ,मंजु (1999),* ***"आरक्षित वर्ग और पंचायतें : सहभागिता के अनुभव"****, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *सिहं, वी.एन. (2000),* ***"ग्रामीण समाजशास्त्र"****, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।*
- *सेन, अमर्त्य एवं ज्याँ द्रीज़ (2000),* ***"भारत विकास की दिशाएँ"*** *, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली।*
- *सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2000),* ***"पंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व"****, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।*
- *भट्ट, आशीष (2000),* ***"पंचायतों में जनजातीय नेतृत्व और जानकारी का स्तर"****, कुरुक्षेत्र, मार्च, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *पाँडा, बी. के. (2000),* ***"आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय की व्यवस्था और कार्यकलाप"****, परिप्रेक्ष्य, अप्रैल–अगस्त, नीपा, नई दिल्ली।*
- *त्रिपाठी, राजमणि एवं सिंह, सुनीत (2000),* ***"पंचायतों के नेतृत्व में कमजोर वर्गो की जागरूकता"****, कुरुक्षेत्र, फरवरी, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- *पाल, सुधीर एवं रणेन्द्र (2003),* ***"पंचायती राज हाशिये से हुकूमत तक"****, आधार प्रकाशन, पंचकूला, हरियाणा।*
- *Menon, P. S. K., & Sinha, Bakshi D. (2003).* ***Panchayati Raj in Scheduled Areas.*** *New Delhi: Concept Publishing Company.*
- *पूरण मल (2004),* ***"पंचायती राज एवं दलित नेतृत्व"****, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।*
- *Dhaka, Sunita, & Dhaka, Rajbir S. (2005).* ***Behind the Veil: Dalit Women in Panchayati Raj.*** *Delhi: Eastern Book Corporation.*
- *मीणा, पी.सी. एवं दून, आर.एस. (2006),* ***"जन सूचना सागर"****, प्रकाशक जिला प्रशासन, रोहतक।*
- *कटारिया, सुरेन्द्र कुमार (2009),* ***"पंचायती राज सशक्तिकरणः बाधाएँ एवं संभावनाएँ"****, कुरुक्षेत्र, अगस्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।*